

३।।०।१ पत्रावली पेश हुई। वही प्रकार हाजिर  
 नहीं। वादीगण व अधिवक्तागण भी हाजिर  
 अदालत नहीं आए। प्रकार व उनके  
 अधिवक्तागण को बार-बार जवाब  
 लगायी गई। न तो वादीगण स्वयं  
 हाजिर हुए तथा ना ही वकील  
 की उमर से कोई अधिवक्ता हाजिर  
 हुआ। अतः वादीगण का न

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अहकाम  
की तारीख

बाबत उक्त घोषणा यथादिक्किका  
कडक दायरी कडक पैरवी में खास  
किया जाता है पत्तापत्ती के साथ  
सुमार दोक नम्बर में वगैरे  
बाद वाकिल तहसील दाखिल दाख  
है। कडेवा खुले न्यायालय में  
मुकामा वगैरे

(निधि सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
रायगढ़ शेखावाटी